

हरियाणा सरकार
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़।
कार्यालय आदेश

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत इस विभाग की आन्तरिक शिकायत कमेटी का पुर्नगठन निम्नप्रकार से किया जाता है:-

1	श्रीमती राजरानी, अनुसंधान अधिकारी, मुख्यालय	Presiding Officer
2	श्रीमती अनिता रानी, उप-अधीक्षक, मुख्यालय	Member
3	श्रीमती अमिता, सहायक, मुख्यालय	Member
4	श्री ललित कुमार, सहायक, मुख्यालय	Member

दिनांक चण्डीगढ़
02 मार्च, 2018

अनिल कुमार
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग।

पृ० क्रमांक 279-SW-(1)2018

दिनांक:- 7-3-2018

इसकी एक प्रति निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा, बेज न० 15-20, सैक्टर-4, पंचकूला।
- 2 सभी अधिकारी/ब्रांच इन्चार्ज मुख्यालय चण्डीगढ़।
- 3 सभी जिला कल्याण अधिकारी हरियाणा राज्य में।
- 4 सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी।
- ✓ 5 प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाईट पर दर्शाने के लिए।

Raghu Bis Singh

अधीक्षक,
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग